

16/9/19

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपर।
 वकील रेलपो द्वारा निवेदन किया कि वकील प्रार्थी
 को अप्रार्थी स. उ की तलवी हेतु नोटिस की सांघा
 अखबार में करवाने हेतु 5-6 अखतर दिये जा चुके हैं।
 इसलिए प्रा० पत्र 14(4) को अदम तकमील में रवाजिज
 जरमाफा जावा। वकील प्रार्थी द्वारा अखतर ब्राधा कि
 वद्वकार के जाने पछी नोटिस की सांघा अखबार
 में करवाया जा सकता है अन्यथा नहीं। वकील अप्रार्थी
 का कथन उचित प्रतीत होता है क्योंकि वकील प्रार्थी को
 अप्रार्थी के नोटिस को अखबार में सांघा करवाने हेतु 15/9
 11/5/19 से अब तक द. अखतर प्रदान किये जा चुके हैं
 तथा आज भी वकील प्रार्थी नोटिस की सांघा करवाने
 हेतु आनाकानी कर रहा है। अतः प्रार्थी वकील पत्रावली
 की तकमील पूर्ण नहीं करना चाहता है। इसलिए प्रार्थी को
 की ओर से प्रफुट निगरानी प्रार्थना पत्र 14(4) अदम
 तकमील में रवाजिज किया जाता है। पत्रावली फौसल
 शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील
 दाखिल अफिलेख की जावे। अतः सुनायी गयी।

श्री २०० पी. सिंह
 जिला कलेक्टर
 बाराह माधोपुर

